रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1970/श्रावण 5, 1892

No. 265] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1970/SRAVANA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

ORDER

New Delhi, the 27th July 1970

S.O. 2636.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any of the railway services connected with or under the Northeast Frontier Railway Administration.

[No. E(L)70ST1-65.]

By Order and in the name of the President.

C. S. PARAMESWARAN, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

आदेश

नयी दिल्ली, 27 जुलाई 1970

एस० ओ० 2536.—यतः केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जन-हित में निम्न आदेश जारी करना आवश्यक है :

अतः, अनिवार्य सेवा अनुसरण अधिनियम, 1968 (1968 का 59 वां) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन से सम्बद्ध अथवा उसके अधीन किसी भी रेल सेवा में हड़तालों को प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० ई (एल) 70 एस टी 1–65.

राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर

सी० एस० परमेश्वरन, सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970